न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर०ए०एस०)

ं. 2024/202
र 55/2024

दर्ज दिनांक– 07.05.2024

। पुत्र रामेश्वरलाल सैनी जाति माली निवासी माताजी की ढाणी तन जोहड की ढाणी ,तहसील
जेला झुझुंनू

–आवेदक

बनाम

सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

आवेदक :– श्री विकास कुमार सैनी
अनावेदक :– पैरा. राज.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 15.07.2024**

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम
की ढाणी पटवार हल्का ढाणियां नवलगढ में भूमि खाता सं. नया 252 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 5
0.44 है0, खसरा नं. 6 रकबा 0.44 है0, खसरा नं. 7 रकबा 0.45 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.33
के राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थी का नाम भूदाराम पुत्र रामेश्वरलाल की जगह बुधराम सैनी पुत्र श्री
श्वरलाल सैनी दर्ज किया जावे।

प्रतिवादी तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रा. पत्र के सम्बन्ध मे तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश कि गई जिसके
ुसार नाम दुरूस्त किया जाना उचित बताया गया।

लिहाजा तहसीलदार नवलगढ़ कि रिपोर्ट कमांक /भू.अ./24/2336 दिनांक 9/7/2024 से
तिफाक रखते हुये यह न्यायालय आवेदक का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है तथा, ग्राम जोहड की ढाणी
टवार हल्का ढाणियां नवलगढ में भूमि खाता सं. नया 252 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 5 रकबा 0.44 है0,
खसरा नं. 6 रकबा 0.44 है0, खसरा नं. 7 रकबा 0.45 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.33 है0 के राजस्व
रिकॉर्ड मे प्रार्थी का नाम भूदाराम पुत्र रामेश्वरलाल की जगह बुधराम सैनी पुत्र श्री रामेश्वरलाल सैनी दर्ज व
दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे।
तहसीलदार नवलगढ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय/आदेश आज दिनांक 15.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
जिला–झुझुंनू

Scanned with CamScanner